



स्वर्ण जयंती वर्ष
2005 - 2006

कार्यालय
उप संचालक,
पंचायत एवं सामाजिक न्याय, विभाग
जिला उज्जैन (म.प्र.)

मेन्यूअल

सूचना के अधिकार अधिनियम 2005

**Deputy Director of Panchayat & Social Justice Department
District- UJJAIN**

**The Right to information Act. 2005
Right to information and obligations of public authorities
Under Section 4(1) (b)**

<i>No.</i>	<i>Details</i>	<i>Information</i>
1	2	3
(i)	The particular of its organisation, functions and duties;	Page No.1-4
(ii)	The powers and duties of its officers and employees;	Page No.5
(iii)	The procedure followed in the decision making process, including channels of supervision and accountability;	Page No.6
(iv)	The norms set by it for the discharge of its functions;	Page No.7
(v)	The rules, regulations, instructions, manuals and records, held by it or under its control or used by its employees for discharging its functions;	Page No.8
(vi)	A Statement of the categories of documents that are held by it or under its control;	Page No.9
(vii)	The particulars of any arrangement that exists for consultation with, or representation by, the members of the public in relation to the formulation of its policy or implementation thereof;	Page No.10
(viii)	A statement of the boards, councils, committees and other bodies consisting of two or more persons constituted as its part or for the purpose of its advice, and as to whether meetings of those boards, councils, committees and other bodies are open to the public, or the minutes of such meetings are accessible for public;	Page No.11

(ix)	A directory of its officers and employees;	Page No.12
(x)	The monthly remuneration received by each of its officers and employees, including the system of compensation as provided in its regulations;	Page No.13
(xi)	The budget allocated to each of its agency, indicating the particulars of all plans, proposed expenditures and reports on disbursements made;	Page No.14
(xii)	The manner of execution of subsidy programmes including the amounts allocated and the details of beneficiaries of such programmes;	Page No.15-16
(xiii)	Particulars of recipients of concessions, permits or authorisations granted by it;	Page No.17
(xiv)	Details in respect of the information, available to or held by it, reduced in an electronic form;	Page No.18-21
(xv)	The particulars of facilities available to citizens for obtaining information, including the working hours of a library or reading room, if maintained for public use;	Page No.22
(xvi)	The names, designations and other particulars of the Public Information Officers;	Page No.23
(xvii)	Such other information as may be prescribed;	Page No.24

B.K.Barsale
Dy. Director
Panchayat & Social Justice
Distt. Ujjain

बिंदु कमांक – 01

प्रशासनिक प्रतिवेदन

===== =0= =====

कार्यालय उपसंचालक, पंचायत एवं सामाजिक न्याय, विभाग म.प्र.शासन के सामाजिक न्याय विभाग अन्तर्गत संचालनालय पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग भोपाल के अधीन कार्यरत है । इस विभाग अन्तर्गत निम्नांकित कार्य एवं दायित्वों का निर्वहन किया जाता है :-

विभागीय गतिविधियां:-

01. निःशक्त कल्याण :-

निःशक्तजन कल्याण योजनान्तर्गत अस्थिबाधित, दृष्टिबाधित, श्रवणबाधित, मानसिक रूप से अविकसित व्यक्तियों को शिक्षण प्रशिक्षण, रोजगार, पुनर्वास कार्यक्रम तथा स्वैच्छिक एवं शासकीय संस्थाओं के माध्यम से संचालित किये जाते हैं ।

02. सुधारात्मक सेवाएँ :-

किशोर न्याय अधिनियम के अधीन बालकों की देखरेख और संरक्षण के लिये जरूरत मंद बालकों को संरक्षण, शिक्षण, प्रशिक्षण, भरण-पोषण एवं पुनर्वास की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं ।

03. सामाजिक सहायत योजनाएं :-

सामाजिक सुरक्षा पेंशन, राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन, राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना उपरोक्त योजनाएं सामाजिक सहायता अन्तर्गत संचालित की जाती हैं । ये केन्द्र परिवर्तित कार्यक्रम है, जिनमें शत-प्रतिशत वित्तीय सहायता भारत सरकार से प्राप्त होती है ।

04. पंचकोषी यात्रा :-

प्रतिवर्ष इस विभाग द्वारा अप्रैल-मई माह में आयोजित होती है ।

05. पंचायत निर्वाचन :-

पंचायत निर्वाचन अन्तर्गत इस कार्यालय द्वारा पंच, उपसरपंच, जनपद पंचायत के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के पदों का आरक्षण तथा जिला पंचायत के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के

पदों का आरक्षण तथा जिला पंचायत के अध्यक्ष,उपाध्यक्ष पद के निर्वाचन संबंधी कार्यवाही सम्पन्न कराई जाती है


06. शासकीय संस्थाएं :-

1.अधीक्षक,सम्प्रेक्षण गह,उज्जैन 2.अधीक्षक,किशोर गह बालक उज्जैन 3. अधीक्षक, शासकीय मूक बधिर बालिका मा.वि.उज्जैन ।

07. अशासकीय संस्थाएं :-

1.प्रेमसागर स्पेशल स्कूल –यह संस्था मानसिक रूप से विकलांग बच्चों के लिये संचालित है । 2.म.प्र. विकलांग सहायत समिति –मानसिक रूप से विकलांग बच्चों के शिक्षण-प्रशिक्षण के लिये कार्यरत है । 03.जागृति नशामुक्ति केन्द्र-यह संस्था नशाबन्दी के क्षेत्र में प्रचार-प्रसार हेतु कार्यरत है ।

जिला स्तरीय विभागीय संरचना



बिन्दु क्रमांक.2

कार्यालय में पदस्थ अधिकारी की जानकारी

श्री बी.के.बर्सले, उपसंचालक

कुल परिलब्धियाँ

01. वेतन	रूपये 8100/-
02. मंहगाई भत्ता	रूपये 4779/-
03. मकान किराया भत्ता	रूपये 405/-
04. नगर क्षतिपूर्ति भत्ता	रूपये 10/-
05. अन्य	रूपये -
कुल परिलब्धियां	रूपये- 13294/-

कर्तव्य :-

- 1, कार्यालय प्रमुख के मान से समस्त प्रशासनिक कार्यों का निर्वहन
- 2, योजनाओं का क्रियान्वयन
- 3, वरिष्ठालय के निर्देशों का पालन

कार्यालय में पदस्थ कर्मचारियों को निम्नानुसार उनके नाम सम्मुख कालम

नम्बर-3 में अंकित शाखा का प्रभार सौंपा गया है :-

क्र.	कर्मचारी का नाम एवं पदनाम	शाखा का प्रभार जो सौंपा जा रहा है
1	2	3
1	श्री टी.सी. शिन्दे मुख्य लिपिक सह लेखापाल	सभी शाखाओं पर नियंत्रण, कार्यालयीन व्यवस्था, लेखा संबंधी समस्त कार्य, गोपनीय प्रतिवेदन, विधानसभा, उप संचालक द्वारा सौंपे गये कार्य,
2	श्रीमती मंगला सोमवंशी सहायक वर्ग - 2	<u>स्थापना अनुविभाग :-</u> स्थापना शाखा का प्रभारी के मान से शाखा संबंधी समस्त कार्यों का संधारण, व्यक्तिगत नस्तियों का संधारण, / ग्राम सहायकों / कार्यालयीन कर्मचारियों के पेंशन प्रकरण आदि, संभागीय कार्यालय की स्थापना की नस्तियों का संधारण,

		शिकायत अनुविभाग :-ग्राम सहायकों की शिकायत/ निलम्बन/ विभागीय जॉच/ कार्यालयीय कर्मचारी एवं संस्थाओं के कर्मचारियों की शिकायत
3	श्री राजेश पाठक सहायक वर्ग - 3	पंचायत अनुविभाग :- पंचायत अनुविभाग के प्रभारी के मान से पंचायत संबंधी समस्त कार्यों का संधारण पंचायत कर्मियों को सचिव घोषित करना एवं पंचायत कर्मों संबंधी समस्त कार्य/मानदेय शिकायत अनुविभाग :- पंचायत कर्मियों की शिकायत, न्यायालयीन अनुविभाग :- न्यायालयीन अनुविभाग के प्रभारी के मान से समस्त कार्य का संधारण करना।
4	कु. करुणा सांलुके सहायक वर्ग - 3	समाज कल्याण :- समाज कल्याण अनुविभाग प्रभारी के मान से शाखा संबंधी समस्त कार्यों का संधारण अशासकीय स्वैच्छिक संस्थाओं के अनुदान प्रकरण, मद्य-निषेध।
5	श्री अशोक गेहलोत सहायक वर्ग - 3	निःशक्त कल्याण अनुविभाग :- निःशक्त कल्याण अनुविभाग के प्रभारी के मान से समस्त कार्यों का संधारण करना। विकलांग छात्रवृत्ति, दीनदयाल समर्थ, निराश्रित निधि,
6	श्री राजेश ललावत सहायक वर्ग - 3	आडिट अनुविभाग :- आडिट संबंधी समस्त कार्य का संधारण करना। शिकायत अनुविभाग :- सरपंचों की शिकायत, बैठक संबंधी समस्त नस्तियों का संधारण करना बैठक के संबंध में समय पर उप संचालक महोदय को अवगत कराते हुवे बैठक संबंधी समस्त जानकारी अनुविभागों से प्राप्त कर प्रस्तुत करना।
7	श्रीमती गंगादेवी गुप्ता सहायक वर्ग - 3	आवक/जावक अनुविभाग :- आवक/जावक शाखा का समस्त कार्य को निपटाना।
8	श्री शशिकान्त देशभरतार सहायक वर्ग - 3	कम्प्यूटर का समस्त कार्य संभागीय समंवयक समाज कल्याण विभागीय योजनाएँ :- सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना। राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना। राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना
9	श्रीमती उर्मिला मरमट सहायक वर्ग - 3	सूचना के अधिकार एवं सामान्य शाखा (श्रीमती गुप्ता सहायक वर्ग - 3 के अवकाश पर रहने के समय उनके प्रभार का कार्य करेंगे।)


नोट:- शिकायत/सूचना के अधिकार/समनवयक/न्यायालय के प्रभारी अधिकारी श्री आर.के.जोशी सहायक संचालक रहेंगे। उक्त नस्तियां श्री जोशी सहायक संचालक को शाखा प्रभारी प्रस्तुत करेंगे।

बिंदु क्रमांक - 03

कार्यालय में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया

सूचना का अधिकारी अधिनियम 2005

===== 0 =====



बिन्दु क्रमांक -4

समय-सारणी

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005की धारा 6 के अन्तर्गत

- 1 आवेदन प्राप्त की दिनांक
2. आवेदन प्राप्त होने पर प्राप्तकर्ता अधिकारी/कर्मचारी अधिकतम दूसरे कार्य दिवस तक संबंधित शाखा को भेज देगा ।
3. संबंधित शाखा प्रभारी ऐसे प्राप्त आवेदन से संबंधित अभिलेख अधिकतम 03कार्य दिवस में लोक सूचना अधिकारी को अपनी टीप सहित प्रेषित करेगा की ऐसा अभिलेख धारा 08 के अन्तर्गत वर्जित नहीं है ।
शाखा प्रभारी यदि पाता है कि आवेदन उसकी शाखा से संबंधित ना होकर या अन्यत्र शाखा या विभाग से संबंधित है तब ऐसी दशा में अधिकतम देसरे कार्य दिवस तक आवेदन लोक सूचना अधिकारी/सहायक सूचना अधिकारी को भेज देगा ।
4. लोक सूचना अधिकारी/सहायक सूचना अधिकारी ऐसा अभिलेख प्राप्त होने पर अधिकतम तीन कार्य दिवस में आवेदक को सूचना/प्रतिलिपि/सेम्पल शुल्क अदा करने के लिये निर्धारित प्रारूप में सूचित करेंगे
5. लोक सूचना अधिकारी/सहायक लोक सूचना अधिकारी निर्धारित शुल्क की पूर्ति होने के पश्चात आवेदन की दिनांक से अधिकतम 30 कार्य दिवसों की समयावधि में वांछित दस्तावेज/नकल/निरीक्षण/अवलोकन की कार्यवाही कर आवेदक के हस्ताक्षर प्राप्त करेंगे ।
यदि वांछित अभिलेख अन्य कार्यालय/विभाग से संबंधित है तो ऐसे लोक सूचना अधिकारी निर्धारित प्रारूप ममें मूल आवेदन संबंधित कार्यालय/विभाग को आवेदन की दिनांक से 5 कार्य दिवस में अंतरित कर देंगे ।साथ ही आवेदनकर्ता को निर्धारित प्रारूप में अंतरण की सूचना देंगे ।

बिन्दु क्रमांक -05

कार्यालय में उपलब्ध होने वाले तथा उपलब्ध अधिनियम,नियम,रेग्युलेशन,मेन्यूअल की सूची

1. मध्यप्रदेश अवकाश नियम
2. मध्यप्रदेश सर्विस मेन्यूअल भाग-1 एवं 2
3. मध्यप्रदेश सामान्य पुस्तक परिपत्र
4. मध्यप्रदेश मूलभूत नियम भाग-1एवं 2
5. मध्यप्रदेश सामान्य भविष्य निधि नियम
6. मध्यप्रदेश यात्रा भत्ता नियम
7. मध्यप्रदेश विभागीय जांच प्रक्रिया संहिता
8. कोषालय संहिता
9. वित्तीय संहिता भाग-1 एवं 2
10. मध्यप्रदेश स्टोर्स पर्चेस रूल
11. मध्यप्रदेश सिविल सेवा नियम
12. चिकित्सा परिचर्या नियम 1958
13. मध्यप्रदेश वेतन निर्धारण नियम
14. मध्यप्रदेश सिविल सर्विसेस पेंशन नियम
15. सिविल प्रक्रिया संहिता भाग -1,2,3,4
16. मध्यप्रदेश शासन द्वारा कर्मचारियों हेतु कल्याणकारी सुविधाएं

बिन्दु क्रमांक –06

कार्यालय में संधारित किये जाने वाले विभिन्न अभिलेखों की सूची

क्र.	दस्तावेज का नाम	समाहित जानकारी
1	2	3
1	केश बुक	आय एवं व्यय से संबंधित प्रविष्टी
2	व्हाउचर्स पंजी	भुगतान किये गये देयकों की प्रविष्टी
3	कांटेजिन्सी रजिस्टर	भुगतान हेतु प्राप्त देयकों की प्रविष्टी
4	बिल रजिस्टर	भुगतान हेतु तैयार देयकों की प्रविष्टी
5	चेक रजिस्टर	कोषालय से प्राप्त चेकों की प्रविष्टी
6	ऐरोल पंजी	भुगतान की प्रविष्टी
7	चिकित्सा देयक पंजी	अधिकारी/कर्मचारियों से प्राप्त चिकित्सा देयको के भुगतान की प्रविष्टी
8	यात्रा देयक पंजी	अधिकारी/कर्मचारियों से प्राप्त यात्रा देयको के भुगतान की प्रविष्टी
9	बैंकर्स चेक एवं ड्राफ्ट पंजी	भुगतान हेतु प्राप्त बैंकर्स चेक एवं ड्राफ्ट की प्रविष्टी
10	स्थाई सामग्री पंजी	क्रय की गई सामग्री की पंजी
11	स्टेशनरी पंजी	प्राप्त स्टेशनरी की प्रविष्टी
12	आवक पंजी	प्राप्त पत्रों की पंजी में प्रविष्टी
13	जावक पंजी	कार्यालय से भेजे जाने वाले पत्रों की प्रविष्टी
14	सर्विस स्टाम्प पंजी	बाहर भेजे जाने वाले पत्रों पर लगाये गये स्टाम्प की प्रविष्टी
15	टी.एल. पंजी	निर्धारित समय सीमा में पत्रों की प्रविष्टी
16	उपस्थिति पंजी	कर्मचारियों की उपस्थिति दर्ज की जाती है।
17	आकस्मिक अवकाश पंजी	कर्मचारियों के आकस्मिक अवकाश की प्रविष्टी

बिन्दु क्रमांक –07

परामर्शदात्री समितियों की संरचना संबंधी जानकारी

नि रं क

बिन्दु क्रमांक 8 विभाग की समितियों की जानकारी

लोकल लेबल कमेटी

लोकल लेबल कमेटी के अध्यक्ष कलेक्टर, जिला उज्जैन है इसमें दो अशासकीय सदस्य मनोनीत है ।

नेशनल ट्रस्ट, भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग नई दिल्ली अंतर्गत जिले में "लोकल लेबल कमेटी" गठित होकर कियाशील है । नेशनल ट्रस्ट के द्वारा जारी निर्देशानुसार उक्त कमेटी की प्रति तीन माह में एक बार बैठक नियमित रूप से आयोजित की जाती है । जिले में लोकल लेबल कमेटी के माध्यम से लीगल गार्जियन शीप योजनांतर्गत निशक्त मानसिक रूप से अविकसित बच्चों को गोद लिया जाता है । उज्जैन जिले में उक्त योजनांतर्गत 10 बच्चों को गोद लिया गया है ।

जिला स्तरीय विकलांग तथा विकास समिति:—

यह समिति जिला स्तर पर गठित होकर निःशक्त जनों के स्वरोजगार ऋण प्रकरणों पर विचार करने संबंधी कार्यवाही संचालित करती है ।

जिला सलाहकार समिति:—

यह समिति किशोर न्याय अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन एवं उक्त अधिनियम के अन्तर्गत संचालित संस्थाओं यथा किशोर गृह एवं सम्प्रेक्षण गृह द्वारा प्रदाय की जा रही सेवाओं के उन्नयन तथा अन्तःवासियों के समग्र विकास एवं पुर्नगठन हेतु जिला सलाहकार बोर्ड का गठन किया गया है ।

- 1, जिला सलाहकार समिति के अन्तर्गत बाल कल्याण समिति का गठन संस्था सम्प्रेक्षण गृह हेतु किया गया है ।
- 2 जिला सलाहकार समिति के अन्तर्गत संस्था किशोर गृह हेतु किशोर न्याय बोर्ड का गठन किया गया है ।

जिला स्तरीय राष्ट्रीय सामाजिक सहायता समिति:—

उक्त समिति के द्वारा सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन एवं राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना की समीक्षा प्रतिमाह की जाने हेतु गठित की गई है ।

बिन्दु क्रमांक -09

	कर्मचारी का नाम	पदनाम	पता	मो. एवं फोन नम्बर
1	2	3	4	5
1	श्री बी.के. बरसले	उपसंचालक	सेठी नगर उज्जैन	9893348948 2510515
2	श्री टी.सी. शिन्दे	मुख्य लिपिक, सहलेखापाल	शास्त्री नगर उज्जैन	2510515
3	श्रीमती मंगला सोमवंशी	सहायक ग्रेड 2	अभिलाषा कालोनी उज्जैन	2510515
4	सुश्री करुणा सालुंके	सहायक ग्रेड 3	विवेकानन्द कालोनी उज्जैन	2510515
5	श्री अशोक गेहलोत	सहायक ग्रेड 3	देसाई नगर उज्जैन	2510515
6	श्री एस.एस. सिसौदिया	पं. एवं समाज शिक्षा संगठक		2510515
7	श्री डी.डी. त्रिपाठी	—''—	महानन्दा नगर उज्जैन	2510515
8	श्री के.एन. खत्री	—''—	जनपद पंचायत घट्टिया	2510515
9	श्री एस.एस. पांडे	—''—	जनपद पंचायत बडनगर	2510515
10	श्री सुभाष जौहरी	—''—	जनपद पंचायत महिदपुर	2510515
11	श्री अरुण सिंह	—''—	जनपद पंचायत तराना	2510515
12	श्री विक्रम सिंह	मृत्य	चिन्तामण जवासिया उज्जैन	2510515
13	श्री नर्मदा प्रसाद	मृत्य	नागझिरी उज्जैन	2510515
14	श्री नारायणराव जोशी	मृत्य	महाकाल घाटी उज्जैन	
15	श्री बाबुलाल मकवाना	मृत्य	मालनवासा उज्जैन	2510515
16	श्री आर.के. जोशी	सहायक संचालक, (तक.)	जवाहर नगर उज्जैन	2510515
17	श्री एस.एस. चौहान	कनि.तांत्रिक सहायक	अभिलाषा कालोनी उज्जैन	2510515
18	श्रीमती उर्मिला मरमट	सहायक ग्रेड 3	21/2 किशनपुरा उज्जैन	2510515
19	श्री शशिकान्त देशभरतार	सहायक ग्रेड 3	67/3, शास्त्री नगर उज्जैन	2510515
20	श्री राजेश ललावत	सहायक ग्रेड 3	देसाई नगर उज्जैन	2510515
21	श्री राजेश पाठक	सहायक ग्रेड 3	देवास गेट उज्जैन	2510515
22	श्री कैलाश यादव	वाहन चालक	देसाई नगर उज्जैन	2510515
23	श्री एम.एल. शिवालिया	प्रमुख कलाकार	देसाई नगर उज्जैन	2510515
24	श्री के.एल. गोठवाल	कलाकार	किशनपुरा उज्जैन	2510515
25	श्री आर.पी. भाटीया	कलाकार	शंकरपुर उज्जैन	2510515
26	श्री एन.एस. कुशवाह	कलाकार	घासमण्डि उज्जैन	2510515
27	श्री शैलेन्द्र भट्ट	कलाकार	ई-5 ऋषी नगर उज्जैन	2510515
28	श्रीमती अनिता सिंह	कलाकार	इन्द्रानगर उज्जैन	2510515
29	श्रीमती मोना नथानियल	कलाकार	शास्त्री नगर उज्जैन	2510515
30	सुश्री अर्चना मिश्रा	कलाकार	ऋषी नगर उज्जैन	2510515
31	श्री ब्रजमोहन परिहार	प्रस्तुतिकरण सहायक	बिलोटीपुरा दानीगेट उज्जैन	2510515
32	श्री एच.पी. गुजराती	जिला अंकेक्षक	इन्दौर गेट उज्जैन	2510515
33	श्री व्हाय.एस. गामी	उपअंकेक्षक	इन्द्रा नगर उज्जैन	2510515
34	श्री के.डी. बैरागी	उपअंकेक्षक	ऋषी नगर उज्जैन	2510515
35	श्री अनिल श्रीवास्तव	उपअंकेक्षक	ऋषी नगर उज्जैन	2510515
36	श्री आर.एस. केरवाल	उपअंकेक्षक	प्रगती नगर उज्जैन	2510515
37	श्रीमती मीना सिसौदिया	ग्राम सहायक	महानन्दा नगर उज्जैन	2510515
38	श्री संजय विनोदिया	ग्राम सहायक	ऋषी नगर उज्जैन	2510515
39	श्री नरेन्द्र व्यास	ग्राम सहायक	इन्द्रानगर उज्जैन	2510515
40	श्रीमती गंगादेवी गुप्ता	सहायक ग्रेड 3	खत्रीवाडा गोपाल मंदिर उज्जैन	2510515

बिन्दु क्रमांक 10

	कर्मचारी का नाम	पदनाम	मूल वेतन
1	2	3	4
1	श्री बी.के. बरसले	उपसंचालक	8100 / -
2	श्री टी.सी. शिन्दे	मुख्य लिपिक, सहलेखापाल	6500 / -
3	श्रीमती मंगला सोमवंशी	सहायक ग्रेड 2	5100 / -
4	सुश्री करुणा सालुंके	सहायक ग्रेड 3	4460 / -
5	श्री अशोक गेहलोत	सहायक ग्रेड 3	4300 / -
6	श्री एस.एस. सिसौंदिया	पं. एवं समाज शिक्षा संगठक	6000 / -
7	श्री डी.डी. त्रिपाठी	पं. एवं समाज शिक्षा संगठक	1940 / -
8	श्री के.एन. खत्री	पं. एवं समाज शिक्षा संगठक	6000 / -
9	श्री एस.एस. पांडे	पं. एवं समाज शिक्षा संगठक	6375 / -
10	श्री सुभाष जौहरी	पं. एवं समाज शिक्षा संगठक	6875 / -
11	श्री अरुण सिंह	पं. एवं समाज शिक्षासंगठक	6000 / -
12	श्री विक्रम सिंह	मृत्य	3520 / -
13	श्री नर्मदा प्रसाद	मृत्य	3280 / -
14	श्री नारायणराव जोशी	मृत्य	
15	श्री बाबुलाल मकवाना	मृत्य	2550 / -
16	श्री आर.के. जोशी	सहायक संचालक, (तक.)	11300 / -
17	श्री एस.एस. चौहान	कनि. तांत्रिक सहायक	7400 / -
18	श्रीमती उर्मिला मरमट	सहायक ग्रेड 3	3500 / -
19	श्री शशिकान्त देशभरतार	सहायक ग्रेड 3	3875 / -
20	श्री राजेश ललावत	सहायक ग्रेड 3	3800 / -
21	श्री राजेश पाठक	सहायक ग्रेड 3	4460 / -
22	श्री कैलाश यादव	वाहन चालक	4350 / -
23	श्री एम.एल. शिवालिया	प्रमुख कलाकार	5200 / -
24	श्री के.एल. गोठवाल	कलाकार	4060 / -
25	श्री आर.पी. भाटीया	कलाकार	4060 / -
26	श्री एन.एस. कुशवाह	कलाकार	4220 / -
27	श्री शैलेन्द्र भट्ट	कलाकार	4380 / -
28	श्रीमती अनिता सिंह	कलाकार	4140 / -
29	श्रीमती मोना नथानियल	कलाकार	3650 / -
30	सुश्री अर्चना मिश्रा	कलाकार	3500 / -
31	श्री ब्रजमोहन परिहार	प्रस्तुतिकरण सहायक	6500 / -
32	श्री एच.पी. गुजराती	जिला अंकेक्षक	7000 / -
33	श्री व्हाय.एस. गामी	उपअंकेक्षक	6375 / -
34	श्री के.डी. बैरागी	उपअंकेक्षक	6375 / -
35	श्री अनिल श्रीवास्तव	उपअंकेक्षक	6625 / -
36	श्री आर.एस. केरवाल	उपअंकेक्षक	6250 / -
37	श्रीमती मीना सिसौंदिया	ग्राम सहायक	5000 / -
38	श्री संजय विनोदिया	ग्राम सहायक	5000 / -
39	श्री नरेन्द्र व्यास	ग्राम सहायक	5875 / -
40	श्रीमती गंगादेवी गुप्ता	सहायक ग्रेड 3	4380 / -

बिन्दु क्रमांक -11

योजनाओं के बजट संबंधी जानकारी :-

वर्ष - 2005-06

क्र.	योजना का नाम / शीर्ष	आवंटन रू. में
1	2	3
1	निर्देशन प्रशासन 2304	1166000 / -
2	दूरदर्शन योजना (1985)	228200 / -
3	कलापथक योजना	718500 / -
4	अनुदान (2339) आयोजनेत्तर	150000 / -
	अनुदान (2339) आयोजना	100000 / -
	अनुदान (2339) आयोजना	40000 / -
5	विश्व विकलांग वर्ष 4114	3000 / -
6	कृत्रिम अंग उपकरण 073	5000 / -
	कृत्रिम अंग उपकरण 9605	50000 / -
7	सामाजिक सुरक्षा पेंशन (ग्रामीण)	20000000 / -
	सामाजिक सुरक्षा पेंशन (शहरी)	116000000 / -
8	राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन	13000000 / -
9	राष्ट्रीय परिवार सहायता	6000000 / -

बिन्दु क्रमांक 12

राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना

दिनांक 21.10.2004 (2004-05)

क्र.	नाम हितग्राही	पता	रिमार्क
1	2	3	4
1	श्रीमती हसमत बी	महावीर पथ तराना	
2	श्रीमती जुबेदा बी	मदारबड़ तराना	
3	श्रीमती शान्ताबाई,	कबीरदास कालोनी तराना	
4	श्रीमती रामकुंवर बाई, भगवानसिंह	तिलकेश्वर मार्ग तराना	
5	श्रीमती मुन्नीबाई	तालाब की पाल तराना	
6	श्रीमती बानो बी	राम मंदिरपथ वार्ड 4 तराना	
7	श्रीमती रेशमबाई	किला कालोनी वार्ड 4 तराना	
8	श्रीमती लीला बाई	पण्डा कालोनी तराना	
9	श्रीमती गुंजाबाई	हाटपुरा तराना	
10	श्रीमती पद्माबाई उर्फ कलां	इन्द्राकालोनी तराना	
11	श्रीमती कमला देवी	खांकरीपुरा तराना	
12	श्रीमती सुगनबाई	वाल्मिक कालोनी तराना	
13	श्रीमती नजमा बी	अब्दुलरसुल गली तराना	
14	श्रीमती कमला बाई	निगम कालोनी तराना	
15	श्रीमती कल्लोबाई	अब्दुलरसुल गली तराना	
16	श्रीमती मीनाबाई	खांकरीपुरा तराना	
17	श्रीमती चन्दाबाई	शुक्ला गली तराना	
18	श्रीमती ताहीराबी	राम पंदिर पथ वाड 4 तराना	
19	श्रीमती नूरबानो	खांकरीपुरा तराना	
20	श्रीमती श्यामाबाई	नाथवाड़ा तराना	
21	श्रीमती शकुनबाई	ई ब्लॉक टापरी नागदा	
22	श्रीमती रहमतबी	कसाई मोहल्ला नागदा	
23	श्रीमती रम्भा बाई	जी ब्लॉक टापरी नागदा	
24	श्रीमती कृष्णाबाई	सी ब्लॉक नागदा	
25	श्रीमती बेबी	आजाद पुरा नागदा	
26	श्रीमती सज्जनबाई	जबरन कालोनी नागदा	
27	श्रीमती राजूदेवी	प.सा. कालोनी नागदा	
28	श्रीमती कलाबाई	शिवपुरा नागदा	
29	श्रीमती शान्तीबाई	रामस्वरूप मार्ग नागदा	
30	श्रीमती प्रेमलता	जवाहर मार्ग नागदा	
31	श्रीमती देनुबाई	श्रीराम कालोनी नागदा	
32	श्रीमती सरस्वती देवी	गर्वमेन्ट कालोनी नागदा	
33	श्रीमती गोपालबाई	पाल्याकलॉ नागदा	
34	श्रीमती संगीता बाई	पाल्या रोड नागदा	
35	श्रीमती गुलाबबाई	जबरन कालोनी नागदा	
36	श्रीमती रामकन्याबाई	जबरन कालोनी टावर नागदा	
37	श्रीमती प्रेमनकुंवर	जी ब्लॉक नागदा	
38	श्रीमती सरोजबी	गर्वमेन्ट कालोनी नागदा	
39	श्रीमती सम्पत बाई	जी ब्लॉक नागदा	
40	श्रीमती कल्याणीबाई	गर्वमेन्ट कालोनी नागदा	
41	श्रीमती कमला बाई	आजादपुरा नागदा	
42	श्रीमती मेहराजबी	शिव मंदिर के सामने नागदा	
43	श्रीमती मानकुंवर	चम्बलमार्ग नागदा	
44	श्रीमती कनिजबी	चम्बलमार्ग नागदा	
45	श्रीमती कलावती	जबरन कालोनी नागदा	
46	श्रीमती कस्तुरीबाई	जबरन कालोनी नागदा	
47	श्रीमती बसन्तीबाई	व.सा.का. नागदा	
48	श्रीमती मानकुंवर	चम्बल मार्ग नागदा	
49	श्रीमती मनोरमा	रतलाम फाटक नागदा	

बिन्दु क्रमांक 13

वृत्तिकर में छूट प्राप्त करने वाले कर्मचारियों की सूची

म.प्रशासन वाणिज्यक कर विभाग की अधिसूचना दिनांक 18.5.2005 के द्वारा शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति अर्थात् ऐसा व्यक्ति जो शारीरिक दोष या अंग विकृति से ग्रस्त है, जो किसी भी दशा में हड्डियों, मांसपेशियों या जोड़ों के सामान्य कार्य करने में बाधक होती है। ऐसे शासकीय सेवकों जिनके द्वारा जिला चिकित्सामण्डल द्वारा जारी प्रमाण-पत्र के आधार पर वृत्तिकर से छूट दी जाना है। उक्त आदेशानुसार यह अवधि 1 अप्रैल 2005 से 31.3.2010 तक लागू होगी।

क्रमांक	कर्मचारी का नाम	पदनाम	कार्यालय/विभाग का नाम
1	2	3	4
1	श्रीमती पुष्पा सेठी	सहायक शिक्षक	शा.मा.वि.बामोरा
2	श्री एस.के.भटनागर	सहायक संचालक	जिला शिक्षा अधिकारी, जिला उज्जैन
3	श्री कृष्णकान्त सक्सेना	उपयंत्री	कार्या. अनुविभागीय अधिकारी, हाइड्रोमेट्रोलॉजी अनुभाग 2
4	श्री महेश राठौर	सहायक शिक्षक	शा.प्रा.वि.मकोडियाआम उज्जैन
5	श्री सुरेश कुमार पण्डया	सहायक अध्यापक	शा.प्रा.वि.मकोडियाआम, उज्जैन
6	श्री लीलाधर कुंभकार	सहायक श्रेणी 2	भारतीय खाद्य निगम, उज्जैन
7	कु.रजिया मंसूरअली	सहायक	स्टेट बैंक ऑफ इन्दौर
8	श्री आर.सी.हमनानी	सहायक प्रध्यापक	माधव महाविद्यालय, उज्जैन
9	श्री डॉ.इब्राहिमअली	सहायक प्रध्यापक	शा.कालिदास गर्लस कॉलेज, उज्जैन
10	सावित्री सोनी	सहायक अध्यापक	शा.यशवन्त बालक हाई स्कूल, महिदपुर
11	श्री के.एस.वाडिया	निज सचिव	कलेक्टर, जिला उज्जैन
12	श्रीमती सुमन मेहता	प्रशानिक अधिकारी	बैंक ऑफ इंडिया, शाखा मक्सीरोड उज्जैन
13	श्री चन्द्रसिंह दायमा	सहायक अध्यापक	शा.प्रा.वि.घटिया
14	श्री विरेन्द्र गुप्ता	सहायक अध्यापक	शा.प्रा.वि.रुई
15	श्री अकबरअली हुसैन	प्रबन्धक	बैंक ऑफ बडौदा शाखा क्षीरसागर, उज्जैन
16	श्री एस.एन.कक्कर	प्रोफेसर	माधव विज्ञान महाविद्यालय उज्जैन
17	श्री मनिष कुमार अशठाना	स्टेनो टायपिस्ट	जिला व्यापार उद्योग केन्द्र, उज्जैन
18	श्री रामचन्द्र मालवीय	सहायक शिक्षक	कन्या मा.वि.महिदपुर
19	श्रीमती उर्मिला मरमट	सहायक ग्रेड 3	कार्या.उपसंचालक, पंचायत एवं सामाजिक न्याय, जिला उज्जैन
20	श्री प्रेम कुमार मिश्रा	सहायक शिक्षक	शा.कन्या प्रा.वि.जीवाजीगंज, उज्जैन
21	श्री पूर्णेन्दू शर्मा	सहायक प्रध्यापक	शा.क.महाविद्यालय उज्जैन
22	कु.अंजू गोपलानी	खजानची, सह लिपिक	बैंक ऑफ बडौदा, क्षीर सागर, उज्जैन

बिन्दु क्रमांक -14

विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी

1. सामाजिक सुरक्षा पेंशन एवं केन्द्र शासन की वृद्धावस्था पेंशन:-

मध्यप्रदेश शासन एवं समाज कल्याण, विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ.एन. -1/59/95/26-2 दिनांक 18.9.95 के द्वारा माननीय प्रधानमंत्रीजी ने राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन दिनांक 15 अगस्त 95 से प्रारंभ की गई इस योजना का लाभ इस योजना का लाभ उन हितग्राहियों को दिया जाता है जिनकी आयु 65 वर्ष से अधिक हो तथा वे गरीबी रेखा के नीचे जीवन व्यतीत करते हों तथा वे निराश्रित हो । इस योजना अन्तर्गत राशि रूपये 75/-प्रतिमाह प्रति हितग्राही दी जाती है । उक्त योजना का आवंटन केन्द्र शासन द्वारा प्राप्त होता है ।

राज्य शासन की सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना एवं वृद्धावस्था पेंशन योजना का युक्तियुक्तकरण म.प्र.शासन समाज कल्याण विभाग मंत्रालय के ज्ञापन क्रमांक/एफ-5/59/26-2/95 भोपाल दिनांक 6.9.96 द्वारा किया गया । इन दोनों योजनाओं का एकीकरण करते हुए सभी श्रेणी के हितग्राहियों को एक समान दर से अर्थात् राशि रूपये 150/-प्रतिमाह पेंशन के रूप में दी जाने के आदेश प्रसारित किये गये । उक्त योजना के स्वीकृति के अधिकार ग्रामीण क्षेत्रों में जनपद पंचायतों को तथा नगरीय क्षेत्र में नगरीय निकायों को वेष्टित किये गये हैं ।

2. राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना :-

म.प्र.शासन समाज कल्याण विभाग के ज्ञापन क्रमांक/एफ-1/59/95/26-2 दिनांक 18.9.95 के द्वारा राष्ट्रीय परिवार सहायता दिनांक 15 अगस्त 95 से प्रारंभ की गई है । उक्त योजना का लाभ परिवार के मुख्या की मृत्यु तथा ऐसे सदस्य की मृत्यु हो जावे जिसकी कमाई से अधिकांश परिवार का गुजारा चलता है तथा वे परिवार गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाला हो तथा मृत्यु की दिनांक को मृतक की आयु 18 वर्ष या इससे अधिक तथा 65 वर्ष से कम हो उक्त मृतक परिवार को शासन के ज्ञापन क्रमांक रा.सा.यो./98/28/1816 दिनांक 13.8.98 द्वारा राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना में दिनांक 1.8.98 के उपरांत प्राकृतिक एवं अप्राकृतिक किसी भी प्रकोप से होने वाली मृत्यु के प्रकरण में हितग्राहियों को 10,000/-की सहायता राशि दी जाती है ।

3-विकलांग छात्रवृत्ति -

उज्जैन जिले में शासननिर्देशानुसार विकलांग छात्रवृत्ति योजनांतर्गत शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के प्राथमिक/माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक/स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर के निःशक्त छात्र छात्राओं को निम्नानुसार दर पर विकलांग छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है ।

क्रं.	कक्षा/स्तर	छात्रवृत्ति दर प्रतिमाह		वार्षिक छात्रवृत्ति कुल 10 माह के मान से	
		बालक	बालिका	बालक	बालिका
1	प्राथमिक स्तर 01 से 05 तक	25.00	35.00	250.00	350.00
2	माध्यमिक स्तर 06 से 08 तक	30.00	40.00	300.00	400.00

3	उच्चतर माध्यमिक 09 से 12 तक	85.00	95.00	850.00	950.00
4	स्नातक स्तर	125.00	135.00	1250.00	1350.00
5	स्नातकोत्तर	170.00	180.00	1700.00	1800.00

वित्तीय वर्ष 2004-2005 के अंतर्गत विकलांग छात्रवृत्ति योजनांतर्गत प्राथमिक/माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक/स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर के 453 निःशक्त छात्र छात्राओं को लाभान्वित किया गया । जिस पर रुपये 1,88,750/- व्यय हुआ ।

4-समर्थता अभियान — जिला उज्जैन

दिनांक 25 सितम्बर 2004 से प्रदेश में निःशक्त व्यक्तियों के समग्र पुनर्वास हेतु दीनदयाल समर्थ कार्ययोजना प्रारंभ की गई ।

प्रदेश के अन्य जिलों के समान उज्जैन जिले में भी इसका क्रियान्वयन किया जा रहा है । इस कार्ययोजना की एक कड़ी को 'समर्थता अभियान' के माध्यम से निःशक्तजन का सर्वेक्षण, उपचार एवं पुनर्वास कार्यक्रम लागू किया गया है ।

इस अभियान के माध्यम से निःशक्तता की यथासंभव रोकथाम हेतु निःशक्त व्यक्तियों की पहचान कर उन्हें आवश्यक शैक्षणिक व प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराकर आत्मनिर्भर बनाना है । निःशक्तजन को आत्मनिर्भर बनाने में और उनकी निःशक्तता को स्थायी रूप से चिकित्सकीय उपचार एवं कृत्रिम अंगों की सहायता प्रदान की जाना है ।

समर्थता अभियान अन्तर्गत जिले में प्रत्येक जनपद पंचायत मुख्यालय पर निःशक्तजन समस्या समाधान शिविर का आयोजन किया जा रहा है । इस शिविर के माध्यम से निःशक्तजन से जुड़ी शासन द्वारा उल्लेखित समस्याओं का निराकरण किया जावेगा ।

इस संबंध में जिले में जनपद पंचायत मुख्यालय पर आयोजित होने वाले निःशक्तजन समस्या समाधान शिविरों का कार्यक्रम कैलेण्डर जारी कर वातावरण निर्माण हेतु आवश्यक प्रचार प्रसार यथा पोस्टर / पेमप्लेट आदि के माध्यम से किया जा रहा है । इन शिविरों के माध्यम से निम्नानुसार सुविधा उपलब्ध कराई जावेगी ।

- 1 विद्यालय/महाविद्यालय में अध्ययनरत निःशक्त बालक/बालिका को विकलांग छात्रवृत्ति का प्रदाय ।
- 2 परिचय पत्र / डुप्लिकेट परिचय पत्र का प्रदाय ।
- 3 डाक्टरी /चिकित्सा परीक्षण ।
- 4 चिकित्सा परीक्षण उपरांत आपरेशन हेतु योग्य प्रकरणों का सूचीकरण ।
- 5 भवनों/स्कूलों/छात्रावासों को बाधारहित बनाने संबंधी आवेदन अर्थात् रैम्पस का निर्माण
- 6 निःशक्तता पेंशन के आवेदन पत्र ।
- 7 निःशक्त बच्चों की शिक्षा संबंधी कार्य ।

5-निशक्त व्यक्तियों को स्वरोजगार —

निःशक्त व्यक्तियों को उज्जैन जिले में पहली बार तीन व्यक्तियों को राष्ट्रीय स्तर से स्वरोजगार ऋण उपलब्ध कराया गया । राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम फरीदाबाद द्वारा म.प्र. विकलांग कल्याण तथा विकास समिति भोपाल के माध्यम से उपरोक्त ऋण स्वीकृत कराया गया ।

1— श्री श्यामलाल खत्री बेडशीट निर्माण कार्य हेतु	राशि रू.
2,47,050.00	
2— श्री धर्मेन्द्र खत्री रेडीमेट गारमेन्ट्स हेतु	राशि रू.
2,25000.00	
3— श्री अशोक सिंह डेयरी फार्म	राशि रू.
0,50000.00	

योग 5,22,050.00

6—जिला विकलांग पुर्नवास केन्द्र—

उज्जैन जिले में माह दिसम्बर 2001 में भारत सरकार, केन्द्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा "जिला विकलांग पुनर्वास केन्द्र" की स्थापना की गई है । उक्त केन्द्र द्वारा वार्षिक कार्यक्रम अनुसार जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में शिविरो एवं केन्द्र के माध्यम से केन्द्र में पदस्थ विशेषज्ञों द्वारा निशक्तजनों का परीक्षण उपरांत पात्रता अनुसार कृत्रिम अंग/सहायक उपकरण उपलब्ध कराये जाते हैं ।

7—सर्पोटेड गार्जीयनशीप योजना—

नेशनल ट्रस्ट अंतर्गत सर्पोटेड गार्जीयनशीप योजनांतर्गत गरीबी रेखा के नीचे गंभीर रूप से निशक्त बालक बालिकाओं के अभिभावकों को सामाजिक सहायता राशि रूपये 500 प्रतिमाह दिये जाने का प्रावधान है ।

उज्जैन जिले में सर्पोटेड गार्जीयन शीप योजनांतर्गत नेशनल ट्रस्ट के दिशा निर्देशों के तहत ऐसे 10 व्यक्तियों का चयन किया गया है । उक्त चयनित 10 व्यक्तियों को माह नवम्बर 2004 से सामाजिक सहायता राशि रू. 500 प्रति माह भुगतान किया जा रहा है ।

केन्द्र शासन द्वारा प्राप्त अनुदानित संस्थाएं :-

1, प्रेम सागर स्पेशल स्कूल उज्जैन :-

संस्था प्रेमसागर स्पेशल स्कूल खिलचीपुर आगर रोड़ उज्जैन पर स्थित होकर मानसिक रूप से अविकसित बच्चों के विद्यालय का संचालन कर रही है । संस्था का वर्ष 2004-05 का अनुदान प्रस्ताव कलेक्टर महोदय की अनुशंसा सहित केन्द्र सरकार को अग्रेषित किया गया था । जिसके विरुद्ध सामाजिक न्याय एवं मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा राशि रूपये 449631/- का अनुदान स्वीकृत किया गया है । संस्था का वर्ष 2005-06 का अनुदान प्रस्ताव कलेक्टर महोदय की अनुशंसा सहित कार्यालयीन पत्र क्र. 2629 दिनांक 16.8.05 राशि रूपये 9.96 लाख का आयुक्त पंचायत एवं सामाजिक

न्याय को अग्रेषित किया गया है। संस्था में वर्तमान में 72 छात्र-छात्राएँ अध्ययनरत है।

2, मध्यप्रदेश विकलांग सहायता समिति उज्जैन :-

संस्था मध्यप्रदेश विकलांग सहायता समिति जवाहर नगर उज्जैन में मानसिक रूप से अविकसित बच्चों के शिक्षण/प्रशिक्षण हेतु संचालित है। संस्था का वर्ष 2004-05 का अनुदान प्रस्ताव कलेक्टर महोदय की अनुशंसा सहित राशि रूपये 13.57 लाख का केन्द्र सरकार की ओर अग्रेषित हेतु कार्यालयीन पत्र क्र. 2974 दिनांक 30.9.2003 से आयुक्त पंचायत भोपाल को प्रेषित किया गया है। संस्था को सामाजिक न्याय एवं मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा राशि रूपये 8,02,309/- का अनुदान स्वीकृत किया गया है। संस्था का वर्ष 2005-06 का अनुदान प्रस्ताव कलेक्टर महोदय की अनुशंसा सहित कार्यालयीन पत्र क्र. 2631 दिनांक 16.8.05 राशि रूपये 12.28 लाख का आयुक्त पंचायत एवं सामाजिक न्याय को अग्रेषित किया गया है। संस्था में वर्तमान में 130 छात्र-छात्राएँ अध्ययनरत है।

3, जागृति नशामुक्ति/परामर्श केन्द्र उज्जैन :-

संस्था अखिल भारतीय सामाजिक स्वास्थ्य संघ द्वारा संचालित जागृति नशामुक्ति केन्द्र के संचालन हेतु कार्यरत है। संस्था द्वारा नशाबन्दी के क्षेत्र में प्रचार प्रसार एवं नशा पिड़ीत व्यक्तियों के ईलाज हेतु कार्यरत है। संस्था मक्सी रोड़ पर नगर निगम कार्यालय के पास संचालित है। संस्था को राशि रूपये 3.24 लाख का अनुदान प्रस्ताव कार्यालयीन पत्र क्र. 6386 दिनांक 30.12.2003 द्वारा कलेक्टर महोदय की अनुशंसा सहित वर्ष 2004-05 को अग्रेषित किया गया था। संस्था को वर्ष 2003-04 की प्रथम एवं द्वितीय किस्त सहित अनुदान राशि 4,56.062/- स्वीकृत हुई है। संस्था का वर्ष 05-06 द्वितीय किस्त का अनुदान प्रस्ताव कलेक्टर महोदय की अनुशंसा उपरान्त कार्यालयीन पत्र क्र.2786 दिनांक 31.8.05 राशि रूपये 3.24 लाख का आयुक्त पंचायत एवं सामाजिक न्याय को अग्रेषित किया गया है।

4, सेवा भारती (मात्र छाया) उज्जैन :-

संस्था सेवा भारती 16/1 लक्ष्मीबाई मार्ग सरदारपुरा देवास गेट उज्जैन द्वारा मक्सीरोड़ न्यु सब्जी मार्केट के सामने मात्र छाया शिशु गृह हेतु संचालित है। संस्था को म.प्र. शासन सामाजिक न्याय विभाग भोपाल के आदेश क्र. /एफ/172/3-1/05, 26-2 दि. 4.2.2005 द्वारा शिशु गृह हेतु मान्यता प्रदान की गई है।

शासकीय संस्थाएं :-

जिला अन्तर्गत 3 संस्थाएं संचालित है जो निम्नानुसार है:-

1, सम्प्रेक्षण गृह उज्जैन :-

संस्था की स्थापना 1980 में की गई है। संस्था मालनवासा क्रिष्टज्योती स्कूल के सामने स्थापित है। संस्था किशोर न्याय अधिनियम की धारा 11 के अन्तर्गत स्थापित है। संस्था में किशोर न्यायालय/किशोर कल्याण बोर्ड उज्जैन के आदेशानुसार

उज्जैन/देवास/शाजापुर के अपचारी/उपेक्षित/अनियंत्रित विचाराधिन बालको को प्रवेश दिया जाता है। संस्था में बालको के संरक्षण, आवास, भोजन चिकित्सा एवं शिक्षण/प्रशिक्षण इत्यादि की सुविधा के साथ उन्हें समाज व परिवार में पुनर्स्थापित करना है। वर्तमान में संस्था में 32 बालक है जिनमें अपचारी 13 एवं उपेक्षित 19 है।

2, किशोर गृह उज्जैन (बाल गृह) :-

संस्था की स्थापना किशोर न्याय अधिनियम 1986 की धारा 9 के तहत अगस्त 1994 से की गई है। संस्था लालपुर नागझिरी पर स्थापित है। संस्था में किशोर कल्याण बोर्ड के आदेशानुसार भेजे गये बालको को संस्था में रखकर इन्हे भरण पोषण, शिक्षण/प्रशिक्षण आदि की सुविधा प्रदान कर इन्हे यथा संभव योग्य नागरिक बनाने का प्रयास कर उन्हें समाज में स्थापित करना है। संस्था में वर्तमान में 73 बालक निवास रत है।

3, मुक बधिर बालिका माध्यमिक विद्यालय उज्जैन :-

संस्था की स्थापना जुलाई 1994 में की गई है। संस्था मालनवासा क्रिष्टज्योती स्कूल के सामने स्थापित है। संस्था में श्रवण बाधित बालिकाओं को आवासीय सुविधाओं के साथ शिक्षण/प्रशिक्षण देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। विद्यालय में कक्षा 1 से कक्षा 8 तक शिक्षण दिया जाता है। विद्यालय में 54 बालिकाएं निवासरत हैं।

4, कलापथक दल :-

1, अमला :-

एक प्रमुख कलाकार एवं सात कलाकार (कुल 8 कलाकार सदस्य)

2, कार्यक्षेत्र :-

उज्जैन जिले की समस्त 612 ग्राम पंचायत

3, लक्ष्य एवं पूर्ती :-

प्रतिमाह विभाग द्वारा 12 कार्यक्रम

4, प्रचार प्रसार :-

शासन एवं विभाग द्वारा योजनाओं का प्रचार प्रसार जैसे निराश्रित पेंशन, निःशक्त कल्याण, एड्स, ग्राम स्वच्छता, जल संवरक्षण, परिवार कल्याण, बाल विवाह, पोषण आहार, मद्यनिशेध आदि योजनान्तर्गत समय समय प्रचार प्रसार करना।

5, विशेष :-

संचालनालय द्वारा विभागीय लोकोत्सव एवं प्रत्यास्मरण शिविर में कार्यक्रम। कलेक्टर महोदय द्वारा कलेक्टर कार्यालय में माह की 1 तारीक को राष्ट्रिय गान प्रस्तुत करना। एवं राष्ट्रिय पर्व पर झण्डा वंदन में सांसकृतिक कार्यक्रम एवं राष्ट्रियगान।

बिन्दु क्रमांक -15

आम नागरिक को सूचना उपलब्ध कराने हेतु उपलब्ध सुविधाएं

सुविधा	प्रभारी अधिकारी का नाम	सूचना प्राप्ति का समय	कार्यालय का टेलीफोन नंबर
मौखिक या आवेदन द्वारा	बी.के.बर्सले उपसंचालक	प्रातः 10.30 से 5.30 तक शासकीय अवकाश को छोड़कर	0734- 2510515

प्रपत्र-1

जिले मे नामांकित अपीलीय प्राधिकारी ,लोक सूचना अधिकारी एवं सहायक लोक सूचना अधिकारी की जानकारी
(संख्या)

कार्यालय का नाम	कार्यालय में नामांकित अधिकारियों की संख्या			कार्यालय में नामांकन होना शेष है		
	अपीलीय प्राधिकारी	लोक सूचना अधिकारी	सहायक लोक सूचना अधिकारी	अपीलीय प्राधिकारी	लोक सूचना अधिकारी	सहायक लोक सूचना अधिकारी
1	2	3	4	5	6	7
उपसंचालक पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग	कलेक्टर, जिला-उज्जैन	उपसंचालक पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग	जिला अंकेक्षक कार्यालय पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग	---	---	---

उप-संचालक
पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग
जिला-उज्जैन

प्रपत्र-2

जिले मे प्रशिक्षित किये गये अपीलीय प्राधिकारी, लोक सूचना अधिकारी एवं सहायक लोक सूचना अधिकारी की जानकारी

(संख्या)

कार्यालय का नाम	प्रशिक्षित अधिकारियों की संख्या			प्रशिक्षण हेतु शेष अधिकारियों की संख्या		
	अपीलीय प्राधिकारी	लोक सूचना अधिकारी	सहायक लोक सूचना अधिकारी	अपीलीय प्राधिकारी	लोक सूचना अधिकारी	सहायक लोक सूचना अधिकारी
1	2	3	4	5	6	7
उपसंचालक पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग	कलेक्टर, जिला-उज्जैन	उपसंचालक पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग	जिला अंकेक्षक कार्यालय पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग	---	---	---

उप-संचालक
पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग
जिला-उज्जैन

बिन्दु क्रमांक 16

क्रमांक / 2005 / 3114
2005

उज्जैन दिनांक 03.10.

-: आदेश :-

क्रमांक एफ 16-28/बाईस/पं. 2/2005 :- भारत सरकार, विधि एवं न्याय मंत्रालय नई दिल्ली के "सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005" सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत राज्य एवं ग्राम, स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 95 के अधीन राज्य सरकार को प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पंचायत विभाग एवं सामाजिक न्याय विभाग के अधीन विभिन्न प्रशासनिक इकाईयों के लिए नीचे दी गई सारणी के कालम (3) में उक्त केन्द्रीय अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के प्रयोजन के लिए सहायक लोक सूचना अधिकारी तथा कालम (4) में उपधारा (2) के प्रयोजन के लिए सहायक लोक सूचना अधिकारी तथा कालम (5) धारा 19 की उपधारा (1) के प्रयोजन के लिए अपीलीय अधिकारी एतद् द्वारा निम्नानुसार को नामांकित किया गया है :-

क्रमांक	कार्यालय का नाम	लोक सूचना अधिकारी का नाम एवं पद	सहायक लोक सूचना अधिकारी का नाम एवं पद	अपीली प्राधिकारी का नाम एवं पद
1	2	3	4	5
1	जिला स्तर :- संयुक्त/उप संचालक, पंचायत एवं सामाजिक न्याय, जिला उज्जैन	बी.के. बर्सले उप संचालक, पंचायत एवं सामाजिक न्याय, जिला उज्जैन	एच.पी. गुजराती जिला अंकेक्षक, पंचायत एवं सामाजिक न्याय, जिला उज्जैन	कलेक्टर, जिला उज्जैन
2	जनपद पंचायत स्तर	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत	पंचायत एवं समाज शिक्षा संगठक जनपद पंचायत	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जनपद पंचायत
3	ग्राम पंचायत स्तर	पंचायत एवं समाज शिक्षा संगठक जनपद पंचायत	सचिव ग्राम पंचायत	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत

2. उपरोक्तानुसा नामांकित लोक शिक्षा अधिकारी एवं सहायक लोक सूचना अधिकारी सूचना का अधिकारी अधिनियम, 2005 में निहिज प्रावधानों के अनुसार अपने कर्तव्यों का तत्काल प्रभाव से निर्वहन करेंगे।

(हस्ता.)

उप संचालक
पंचायत एवं सामाजिक न्याय,
जिला उज्जैन

बिन्दु क्रमांक -17

प्रासंगिक जानकारी जिसका संबंध आम नागरिक से है

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत कोई भी नागरिक कार्यक्रम अधिकारी नियुक्त लोक सूचना अधिकारी अथवा सहायक लोक सूचना अधिकारी को लिखित प्रारूप में आवेदन कर विहित सूचना/अभिलेखों की प्रति प्राप्त कर सकता है। आवेदन पत्र का फार्म सूचना अधिकारी कार्यालय से विहित शुल्क देकर प्राप्त किया जा सकता है

1. आवेदन पत्र की रसीद प्रदान की जावेगी आवेदक को अभिलेखों की प्रतिलिपि का निर्धारित शुल्क जमा करना होगा।
2. अधिनियम की धारा 8 में उल्लेखित कारणों से आवेदक द्वारा चाही गई सूचना/अभिलेखों की प्रति से इन्कार किया जा सकता है जिसकी लिखित सूचना आवेदन को दी जावेगी। आवेदक विषयान्तर्गत इस आदेश के विरुद्ध अपील कर सकेगा।
3. गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले व्यक्ति द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत चाही जाने वाली जानकारी शुल्क से विमुक्त रहेगी। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत कठिनाई या समस्या के लिये लोक सूचना अधिकारी पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग के उपसंचालक से सम्पर्क कर सकते हैं।